आदेश व्दारा मु0 हाशिम, भा व से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

आदेश

आदेश कमॉक / 53 /   /भोपालः दिनांक 28.3.06

वनों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय प्रशासन व अधोसंरचना विशेष रूप से जबावदार है। वनों की सुरक्षा व्यवस्था के पर्वेक्षण तथा अनुश्रवण हेतु नवीन एकीकृत वन सुरक्षा योजना अन्तर्गत वाहनों का आवंटन निम्नानुसार रहेगाः–

अ.क्र.	कार्यालय का नाम	अधिकारी का पदनाम जिन्हें वाहन आवंटित रहेगा
1	वृत्त कार्यालय	वन संरक्षक
		सहायक वन संरक्षक
		प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी उड़न दस्ता दल
2	क्षैत्रीय वन भण्डल	वन मण्डलाधिकारी
		उप वन मण्डलाधिकारी
		समस्त प्रभारी वन चौकी (वन थाना)

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को क्षेत्रीय वन मण्डलों में वाहन आवंटित नहीं किया जावेगा।

- समस्त वाहन आवंटन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा किये जावेगें।
- उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रत्येक वन संरक्षक वृत्त वनमंडल तथा वन चौकी स्तर की समीक्षा कर वाहन उपलब्धता के संबंध मे पूरी जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) को देगें। जो वाहन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को तथा चौकी प्रभारियों को आवंटन किया जावेगें। उसके अतिरिक्त भी कोई वाहन वनमण्डल में तथा वृत्त कार्यालय में चलाना पाया जाता है तो वह अनियमित माना जावेगा और संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
- वन संरक्षकों द्वारा जो वाहन अंतिम रूप से राजसात् किये जाकर शासकीय उपयोग में लिये जायेगें उनका आवंटन भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा किया जावेगा।
- वन मण्डलों तथा वन संरक्षकों को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त वाहन चाहे वे म.प्र.लघु वनोपज संध से प्राप्त् हुये हैं अथवा एन पी वी आर के अन्तर्गत, समस्त वाहनों के उपयोग का आदेश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा किया जावेगा। किन्ही भी परिस्थिति में एक् अधिकारी के पास एक से अधिक वाहन नहीं रहेगें।

• वृत्त अथवा वन मण्डल में उपलब्ध समस्त वाहन की सूची तैयार कराई जावे और उसके आवंटन हेतु प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) को दिनांक 10 अप्रैल 2006 तक प्रेषित कर दिये जावे ताकि दिनांक 15 अप्रैल 2006 के पूर्व समस्त वाहन का विधिवत आवंटन किया जा सके। यदि किसी वृत्त अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन आंवटन का आदेश निर्धारित समयावधि में नहीं कराया जाता है तो वह स्वय ही जवाबदार होगा।

(मु0हाशिम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

प0कमॉक/ एफ– / 2006 /10–10 / 532 /भोपाल : दिनांक 28.3.06

प्रतिलिपि :–

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

28/3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश